# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./जी/ 2742 धमतरी,दिनांक:19/06/2020

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ0ग0)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Private Ltd, Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Dhamtari Forest Division under Chhattisgarh SancharKaranti Yojana (SKY), area - 4.713 ha. regarding.**
**आनलाईन पंजीयन क्र. FP/CG/OFC/45153/2020 Date 27.05.2020**

संदर्भ :– (1) मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/तक.शा./विविध/3464 दिनांक 08.06.2020
(2) आपका प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक 28.05.2020।

⊗⊗⊗

विषयांकित संदर्भित पत्र (1) सहपत्र सहित छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। आपके द्वारा संदर्भित पत्र (2) के माध्यम से प्रस्ताव 44 बिन्दुओं के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया गया है जिसे 21 बिन्दुओं की चेक लिस्ट के अनुसार तैयार करें जिसमें छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ–5–02/2020/10–2 दिनांक 16.04.2020 के बिन्दु क्रमांक 4 में दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। आपके द्वारा 44 बिन्दुओं के प्रस्ताव का अवलोकन 21 बिन्दुओं चेक लिस्ट के अनुसार किया गया है, जिसमें जो बिन्दु अपूर्ण है उसकी पूर्ति कर 21 बिन्दुओं के अनुसार व्यवस्थित कर पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

| क्रं. | विवरण | पूर्ण/अपूर्ण |
|---|---|---|
| | **GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख** | |
| 1. | आवेदक विभाग का मांग पत्र– | पूर्ण। |
| 2. | रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति। | पूर्ण। |
| 3. | वन क्षेत्र विवरण। | छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ–5–02/2020/10–2 दिनांक 16.04.2020 के बिन्दु क्रमांक 4 में दिये गये निर्देशानुसार अनुसार तैयार करें। |
| 4. | गैर वन क्षेत्र विवरण। | |
| 5. | प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर। | वन आवरण मानचित्र तथा Index Map नहीं है। |
| 6. | वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप। | अपूर्ण है। |
| 7. | प्रपत्र–4 में प्रस्ताव। | छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ–5–02/2020/10–2 दिनांक 16.04.2020 के बिन्दु क्रमांक 4 में दिये गये निर्देशानुसार अनुसार तैयार करें। धमतरी वनमण्डल के अंतर्गत वनक्षेत्र को ही प्रस्ताव में शामिल करें। गरियाबंद वनमण्डल अंतर्गत गोबरा नवापारा से पाडुका तथा उदन्ती सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद के अंतर्गत अरसीकन्हार वन परिक्षेत्र स्थित है। |
| 8. | प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप। | पूर्ण। |



Recieving.
Anthe
22-6-20.

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 9. | न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र। | पूर्ण। |
| 10. | अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही। | पूर्ण। |
| 11. | वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र **I** से **IV** तक) प्रपत्र **IV** मुख्यालय से भरा जावेगा। | **I** से **IV** प्रपत्र संलग्न नहीं है। |
| 12. | ऐतिहासिक प्रमाणपत्र। | पूर्ण। |
| 13. | संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाणपत्र (छत्तिसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)। | अपूर्ण है।<br>छूट संबंधित शासन का पत्र संलग्न करें। |
| 14. | जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)। | पूर्ण। |
| 15. | व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में। | पूर्ण। |
| 16. | व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी **Catagory** की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में। | पूर्ण। |
| 17. | प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तिसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)। | पूर्ण। |
| 18. | वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रा कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009)। | अपूर्ण है। |
| 19. | राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):– प्रस्तावन में 0.322 हे0 राजस्व वन भूमि सम्मिलित है तथा कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | अपूर्ण है। |
| | **राज्य शासन से संबंधित अभिलेख** | |
| 20. | पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009)। | पूर्ण। |
| 21. | राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ की अनुसंशा। | पूर्ण। |

अतः आप उपरोक्तानुसार कमियों का निराकरण कर 21 बिन्दुओं का प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।

संलग्न :– (1) प्रस्ताव मुलतः वापस।
(2) संदर्भित पत्र (1) की छायाप्रति।

**वनमंडलाधिकारी**
**सामान्य वनमंडल धमतरी**

Scanned with CamScanner

E-Receipt

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)**

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./विविध/3464 रायपुर, दिनांक 8/6/2020

प्रति,

समस्त वनमंडलाधिकारी
रायपुर वृत्त रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय वन मंडलाधिकारी सामान्य वन मंडल धमतरी क्र. 821 दि. 11-6-2020

विषय :— वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क./भू–प्रबंध/विविध/115–718/1020 नया रायपुर, दिनांक 28.05.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण हेतु 05 बिन्दुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। जिसमें बिन्दु क्रमांक 04 का विशेषकर ध्यान रखने हेतु लेख किया गया है। चुंकि बिन्दु क्रमांक 04 पर उल्लेखित कमी प्रायः आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के सभी प्रकरणों में रहती है।

अतः आपके वनमंडल के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के प्रकरणों को सावधानीपूर्वक चेक किया जावे तथा संदर्भित पत्र द्वारा आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के प्रकरणों हेतु जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुये प्रकरण प्रेषित किया जावे।

सहायक
व. म. अ.
धमतरी (छ.ग.)
10/06

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/तक.शा./ विविध /3465 रायपुर, दिनांक 8/6/2020

प्रतिलिपि :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ) छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–718/1020 नया रायपुर, दिनांक 29/05/2020

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

मुख्य वन संरक्षक,
रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–02/ 2020/ 10–2 दिनांक 16.04.2020

552
30/5/2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छाया प्रति संलग्न)।

1. धमतरी वन मंडल के ओ.एफ.सी प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था जिस पर राज्य शासन द्वारा संदर्भ पत्र के माध्यम से 5 बिन्दुओं की आपत्ति ली गई है। आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के प्रस्ताव प्रेषित करते समय इन 5 बिन्दुओं में बिन्दु क्रमांक 4 का विशेषकर ध्यान रखा जावें चूँकि बिन्दु क्रमांक 4 पर उल्लेखित कमी प्रायः आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के सभी प्रकरणों में रहती है।

2. साथ ही प्रत्येक वन मंडल में एक आवेदक संस्थान के समस्त ओ.एफ.सी. लाईन का एक ही प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

3. ओ.एफ.सी. लाईन हेतु निर्धारित 21 बिन्दुओं के चेक लिस्ट में प्रस्ताव का 21 बिन्दुओं का विस्तृत विवरण दर्शाते हुए आवरण पत्र में भी दिया जावे।

संलग्नः– संदर्भ पत्र की 2 पृष्ठीय छाया प्रति।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–718/1021 रायपुर, दिनांक 29/05/2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ़।
संलग्नः– संदर्भ पत्र की 2 पृष्ठीय छाया प्रति।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

(21)

# छत्तीसगढ़ शासन
## वन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ–5–02/2020/10–2 नवा रायपुर, दिनांक 16/04/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा धमतरी जिले के धमतरी वनमंडल अंतर्गत बस्तर नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 11.534 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

परिशिष्ट –1

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115– 815/557, दिनांक 29.02.2020 ।

––––00––––

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 A में भाग–4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग– 4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, यह स्पष्ट रुप से अंकित नही है।

2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिंदु क्र. a (ग्रामसभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्रामसभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है।

   भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F 11-9/98-FC(pt), दिनांक 05.07.2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत् कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारुप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारुप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है। °

3. संदर्भित पत्र के बिंदु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत् स्थिति स्पष्ट करें।

क्रमशः 2

APCCF (L/M)
CCF
23/4

Scanned with CamScanner

4. प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमंडल में अलग–अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एक्जाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 11.534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है।

कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :–

1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है ।
2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा ।
3. धमतरी वनमंडल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिंदु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विषयांकित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तुत करें।

5. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है।

2/– कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर टीप प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत) 15.4.2020
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक /04/2020

पृष्ठां.कमांक एफ–5–02/2020/10–2

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, धमतरी वनमंडल, धमतरी, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, तृतीय तल स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन, वन विभाग

Scanned with CamScanner

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव हेतु आवश्यक चेक लिस्ट**

| क्र. | अभिलेख का विवरण | पृ.क्र. |
|---|---|---|
| | GoI (MoEF) से संबंधित अभिलेख | |
| 1 | आवेदक विभाग का मांग पत्र। | 1–13 |
| 2 | रजिस्ट्रे ान कोड एवं वर्श की पुश्टि हेतु आनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छाया प्रति। | 14 |
| 3 | वन क्षेत्र विवरण। | 15–24 |
| 4 | गैर वनक्षेत्र विवरण। | 25 |
| 5 | प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर। | 26 |
| 6 | वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप। | 27 |
| 7 | प्रपत्र –4 में प्रस्ताव। | 28–35 |
| 8 | प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप। | 36–38 |
| 9 | न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र। | 39 |
| 10 | अधिनियम उल्लघंन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुध्द की गयी कार्यवाही | 40 |
| 11 | वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित ( प्रपत्र I से IV तक ) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा | 41–57 |
| 12 | ऐतहासिक स्थल का प्रमाण पत्र। | 58 |
| 13 | संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)। | 59–62 |
| 14 | जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)। | 63 |
| 15 | व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में। | 64 |
| 16 | व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि रकबा हे. में। | 65 |
| 17 | प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010)। | 66 |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 18 | वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),।<br>(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ,नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / F.No.11–9 / 1998 दिनांक 3 / 8 / 2009)। | 67–68 |
| 19 | राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र<br>(कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू –प्र / 1317 दिनांक 25 / 05 / 2007 )। | 69–71 |
| | **राज्य शासन से संबंधित अभिलेख** | |
| 20 | पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन ,वन विभाग का पत्र क्रमांक / एफ–7–22 / 2009 / 10–2 दिनांक 31 / 07 / 2009। | 72 |
| 21 | राश्ट्रीय उद्यान / वन्यप्राणी अभ्यारणय के अंदर से ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनु  ंसा। | 73 |

वनमण्डलाधिकारी,
धमतरी वनमण्डल
जिला – धमतरी, (छत्तीसगढ़).

Scanned with CamScanner